कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-03.06.2024

विषय:- थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत महिला की हत्या कर शव को कूड़े के ढेर के पास फेंके जाने की घटना का सफल अनावरण, क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी व थाना कैण्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शातिर अभियुक्त सोमनाथ उर्फ कल्लू गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में कमिश्नरेट वाराणसी की क्राइम ब्रांच व थाना कैण्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0-193/2024 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. सोमनाथ उर्फ कल्लू पुत्र जगदीश डोम निवासी एस-11/108 पक्की बाजार थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी को आज दिनांक-03.06.2024 को समय करीब 12.45 बजे पक्की बाजार सुलभ शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 01.06.202 को वादी श्री नीरज कुमार यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी डी-36/8 अगस्त कुंडा गोदौलिया जनपद वाराणसी की तहरीर पर टीपीएस कूड़ा घर के पास एक बोरे में अज्ञात महिला उम्र लगभग 48 वर्ष का शव बरामद होने के सम्बन्ध में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्र0नि0 कैण्ट श्री अजय राज वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त पूछताछ करने पर बताया कि मैं जमादार (सफाई कर्मी) का काम करता हूं, मेरी पत्नी की मृत्यु 06 वर्ष पहले हो गयी थी, मृतका से मेरी 05 वर्ष से अच्छी जान पहचान थी, वह मेरे घर आकर रुकती थी व काफी समय से मेरे साथ पत्नी की तरह ही रह रही थी जो भीख मांगने का काम करता थी जो पैसा पाती थी वह अपने पुत्र हीरालाल को दे देती थी व कभी-कभी मुझसे भी पैसा मांग कर अपने बेटे-बहू को दे दिया करती थी जिसके चलते हमारी अक्सर कहा सुनी हो जाया करती थी। दिनांक 31.05.24 की रात्रि को भी हमारी इसी बारे में बहस हो रही थी जो बाद में मारपीट में बदल गयी जिसमे मेरे द्वारा उसे ज्यादा मारने-पीटने व ढकेलने के कारण उसको काफी चोटें आ गयी जिससे वह बेसुध हो गयी मैने सांस वगैरह जांचा तो उसकी धड़कन व सांस नही चल रही थी, मैं काफी डर गया मुझे कुछ समझ में नही आया, मैने कबाड़ में पड़ी बोरी में उसे डालकर व उसके पैरों आदि को भी कस के प्लास्टिक के तार से बांध कर पास खड़ी कूड़ा फेकने वाली ठेलिया में डालकर अर्दली बाजार, महावीर मंदिर होते हुए दीनदयाल अस्पताल के पास पागल खाने के सामने स्थित कूड़ाघर के सामने पड़े कूडेदान में फेकने का काफी प्रयास किया कि कूड़े वाली गाड़ी आएगी और सारा कूड़ा व कूड़े दान में पड़ी लाश अपने साथ ले जाकर के फेंक देगी और

मेरा अपराध छिप जाएगा और मैं पकडा नही जाऊँगा यही मेरा उद्देश्य था परन्तु अकेले होने के कारण सफल ना हो सकने पर मैने वहीं कूड़ेदान के बगल मे जमीन पर छोड़कर ठेलिया लेकर वापस पक्की बाजार आ गया और आज आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोमनाथ उर्फ कल्लू पुत्र जगदीश डोम निवासी एस-11/108 पक्की बाजार थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 49 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थाना कैण्ट पुलिस टीम	**क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस टीम**
1. प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा 2. उ0नि0 आयुष पाण्डेय 3. हे0का0 बृज बिहारी ओझा 4. का0 सचिन मिश्रा थाना 5. का0 प्रमोद कुमार चौहान 6. का0 बृजेश यादव 7. हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा (वाहन चालक)	1. उ0नि0 गौरव सिंह (क्राइम ब्रान्च) 2. उ0नि0 दुर्गेश सरोज (कमाण्ड सेन्टर) 3. हे0का0 दिवाकर वत्स (सर्विलांस सेल)

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।